भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान–मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर

का

अभिभाषण

12 फरवरी, 2024

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण,

मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है तथा सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को दो हिस्सों (1) केसों का अनुसंधान ;प्दअमेजपहंजपवद व ब्मेद्ध एवं (2) विधि–व्यवस्था संधारण ;डंपदजमदंदबम व ि स्ूं – व्तकमतद्ध में बांटा गया है तथा इसके लिए पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग–अलग जिम्मेदारी दी गयी है, ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

वर्ष 2005 में बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। कुल 72 हजार 410 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 42 हजार 481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है। इसके लिए कुल 2 लाख 27 हजार 873 पदों का सृजन किया गया है तथा इन पदों के विरूद्ध तेजी से बहाली की जा रही है। वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 10 हजार हो गयी है। इसके अलावा पुलिस के कुल 21 हजार 391 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा शेष पदों पर भी शीघ्र ही नियुक्ति की जायेगी। सभी पदों पर बहाली होने के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या प्रति लाख आबादी पर 170 से भी अधिक हो जायेगी जो बिहार की आबादी एवं क्षेत्रफल के हिसाब से पर्याप्त होगी।

विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 2005 से अब तक कुल 297 नये थानों का सृजन किया गया है। साथ ही 28 जिलों में यातायात थानों तथा 44 साईबर थानों का सृजन भी किया गया है। **आपातकालीन स्थिति** से निपटने के लिए **डायल–112 की इमरजेंसी सेवा** प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे – अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किये गये। हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम छूटे हैं, उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। हर घर नल का जल के काम को दो हिस्सों में कराया गया, जिन वार्डों में पेयजल की गुणवत्ता आयरन, आर्सेनिक तथा फ्लोराईड से प्रभावित थी, उनका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा अन्य वार्डों का काम पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा कराया गया। अब ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का मेन्टेनेंस एवं छूटे हुये वार्डों का पूरा काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

सात निश्चय–2 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। **प्रथम निश्चय– युवा शक्ति–बिहार की प्रगति** के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रथम चरण में 60 एवं द्वितीय चरण में 89 में नये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जानी है, जिसमें अब तक 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हो चुकी है। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ;प्प्द्ध पटना के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किये गये हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन सभी विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिये न्यूनतम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना वर्ष 2018 से लागू है। इस योजना में वर्ष 2020 से अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुये मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी। वर्ष 2021 में सात निश्चय–2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी। इन तीनों योजनाओं में उद्यमियों को 10 लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में ही सात निश्चय–2 के तहत अन्य वर्गों (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) के युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गयी, जिसमें 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। इसी तरह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर अब तक 40 हजार 49 उद्यमियों को 2 हजार 408 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं।

दूसरे निश्चय ''सशक्त महिला, सक्षम महिला'' के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्टर पास करने पर 25 हजार रूपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। पहले यह काम वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था। उस समय इस योजना के अन्तर्गत इंटर पास करने पर 10 हजार रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे अब सात निश्चय–2 के तहत वर्ष 2021 से बढ़ाकर क्रमशः 25 हजार रुपये एवं 50 हजार रुपये कर दिया गया है। अब तक इंटर पास 12 लाख से अधिक छात्राओं को तथा स्नातक उत्तीर्ण 1 लाख 60 हजार से अधिक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। साथ ही सात निश्चय–2 के अन्तर्गत शुरू की गयी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 6 हजार 753 महिलाओं को लाभ मिला है।

सरकार के **तीसरे निश्चय ''हर खेत तक सिंचाई का पानी''** के अंतर्गत तकनीकी सर्वेक्षण कर 29 हजार 952 योजनाओं का चयन किया गया है एवं 4 विभागों यथा–जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग द्वारा इस काम को कराया जा रहा है। अब तक जल संसाधन विभाग द्वारा 666, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सतही जल से सिंचाई की 306, कृषि विभाग द्वारा 880 तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 187 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। इन योजनाओं से 2 लाख 75 हजार हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। इस काम को तेजी से कराया जा रहा है।

सरकार के **चौथे निश्चय ''स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव''** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम चल रहा है। सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में औसतन 10–10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है। प्रत्येक वार्ड में 10–10 सोलर स्ट्रीट लाईट के अलावा हर पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर लाईट की व्यवस्था की गयी है, जिनका उपयोग उस पंचायत के बड़े वार्डों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे – स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत सरकार भवन आदि के लिए किया जा सकेगा। सोलर स्ट्रीट लाईट से गाँव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी। कई वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट का काम पूरा हो गया है और अगले वर्ष के अंत तक सभी वार्डों में काम पूरा करा दिया जायेगा।

सरकार के **पाँचवें निश्चय ''स्वच्छ शहर–विकसित शहर''** के अन्तर्गत 122 नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पूरी हो गयी है तथा 261 नगर निकायों में यह व्यवस्था की जा रही है। मोक्षधाम योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृह निर्माण की 39 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें 9 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। शहरों में स्टोर्म ड्रेनेज के लिए पूर्व से 13 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा हाल ही में स्वीकृत 11 शहरों की योजनायें निविदा की प्रक्रिया में हैं।

सरकार के **छठे निश्चय ''सुलभ संपर्कता''** के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए 36 बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। प्रथम चरण में शुरू की गयी 20 योजनाओं में से 4 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है एवं 11 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा 5 योजनाओं में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों से सम्पर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों की 1 हजार 623 योजनाएँ चिन्हित की गयी हैं, जिनकी कुल लम्बाई 12 हजार 250 किलोमीटर है। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा शीघ्र ही इन पर काम प्रारंभ किया जायेगा।

सरकार के **सातवें निश्चय ''सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा''** के तहत फरवरी 2021 से गाँवों के 7 हजार 800 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है। अब सामान्य बीमारियों के लिये लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं निःशक्त लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है।

हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु सात निश्चय–2 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2021 से ''बाल हृदय योजना'' लागू की गयी है। इस योजना में प्रशान्ति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्यसाईं अस्पताल में ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। इसके तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ एक अभिभावक एवं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ माँ एवं एक और अभिभावक के लिए 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि देने की व्यवस्था है। अब पटना के इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान ;प्ळप्ब्द्ध एवं इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान ;प्ळप्डैद्ध में भी ऐसे बच्चों को यही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1 हजार 134 बच्चों का सफल ईलाज किया गया है, जिसमें से सत्यसाईं अस्पताल में 887, प्ळप्ब् में 218 तथा प्ळप्डै मे 29 बच्चों का ईलाज किया जा चुका है।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूँ एवं मकई की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गयी है। साथ ही दूध,

अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से 18 अक्टूबर, 2023 को पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है। साथ ही किसानों को कृषि उत्पादों को बाजार की सुविधा एवं वाजिब मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1 हजार 289 करोड़ रूपये की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2019 में शुरू किये गये जल–जीवन–हरियाली अभियान के सभी 11 अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब–पोखर, आहर–पईन एवं कुँओं को अतिक्रमण मुक्त करा कर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करते समय गरीब एवं गृहविहीन विस्थापित लोगों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। इसके तहत अब तक 1 हजार 735 परिवारों को आवास योजना की स्वीकृति दी गयी है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत जल संकट वाले क्षेत्रों गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा शहरों में शुद्ध पेय गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।

राज्य में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इस पर तेजी से कार्य जारी है। साथ ही सुगम यातायात हेतु पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाई ओवर एवं ऐलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। अब राज्य में सभी सड़कों, पुल–पुलियों तथा भवनों के मेंटेनेंस पर जोर दिया जा रहा है, जिसे विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से षिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गई, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर पहुंच गयी है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं, इसके लिए 2 हजार 768 स्कूलों में नये विद्यालय भवन एवं 3 हजार 530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7 हजार 530 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है, जिस पर तेजी से काम जारी है। बालिका शिक्षा हेतु किये गये इन्हीं प्रयासों के कारण बिहार में प्रजनन दर जो वर्ष 2005 में 4.3 थी वह अब घटकर 2.9 रह गयी है।

राज्य में वर्ष 2005 से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2005 से जून, 2022 तक लगभग 3 लाख 68 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2 लाख 20 हजार से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गयी है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक–छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुँच गया है। साथ ही लगभग 87 हजार पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 2006–07 में प्रशिक्षित शिक्षक को 5 हजार रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षक को 4 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय–समय पर काफी वृद्धि की गयी और

वर्तमान में उन्हें लगभग 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक अलग से परीक्षा ली जायेगी, जिसमें उन्हें तीन बार भाग लेने का मौका मिलेगा तथा पास होने पर वे सरकारी शिक्षक बन जायेंगे। इस परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है।

राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या वर्ष 2005 में प्रतिमाह 39 से बढ़कर अब 11 हजार 615 हो गई है। स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयों के मुफ्त वितरण की सुविधा अगस्त, 2006 से प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ तत्कालीन उप राष्ट्रपति माननीय श्री भैंरो सिंह शेखावत जी द्वारा न्यूगार्डिनर रोड अस्पताल, पटना से किया गया।

2005 में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज सरकारी प्रक्षेत्र में 11 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं। वर्तमान में 15 नये मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज राज्य की अपनी निधि से तथा 8 मेडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार के सहयोग से बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी०एम०सी०एच०) को 5 हजार 462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके अतिरिक्त इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई०जी०आई०एम०एस०), पटना, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एन०एम०सी०एच०), पटना सिटी, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एस०के०एम०सी०एच०), मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (ए०एन०एम०एम०सी०एच०), गया तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डी०एम०सी०एच०), दरभंगा को 2 हजार 500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। महिलाओं को पुलिस एवं सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह काफी कम हुआ करते थे। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए परियोजना शुरू की गयी, जिसका नामकरण ''जीविका'' किया गया। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएँ जुड़कर जीविका दीदियाँ बन गई हैं। स्वयं सहायता समूहों में किये जा रहे कामों से जीविका दीदियों में जागृति आ रही है और वे आर्थिक रूप से सक्षम एवं स्वावलंबी बन रही हैं। अब तक जीविका दीदियों का काम ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो रहा है परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी जीविका के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन का निर्णय हो गया है तथा जल्दी ही यह काम शुरू हो जायेगा। इनसे जुड़ने वाली महिलाओं को भी जीविका दीदी ही कहा जायेगा।

सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई गयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग ;ठच्ैब्. ठपींत च्नइसपब ैमतअपबम ब्वउउपेपवदद्ध एवं संघ लोक सेवा आयोग ;न्च्ैब्. न्दपवद च्नइसपब ैमतअपबम ब्वउउपेपवदद्ध की प्रारंभिक परीक्षा ;च्ज्द्ध पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50 हजार रूपये एवं एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही

है। अब तक ठच्ै एवं न्च्ै की प्रारंभिक परीक्षा ;च्ज्द्ध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4 हजार 113 तथा अति पिछड़े वर्ग के 5 हजार 915 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने योजना का लाभ लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5 सुयोग्य लाभुकों को वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इन 5 लाभुकों में से 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 2 अति पिछड़ा वर्ग के होते हैं। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25 हजार 559 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 19 हजार 195 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। अब इसका विस्तार करते हुये प्रखण्डों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत प्रति प्रखण्ड (जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर) 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इन 7 लाभुकों में 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग एवं 2 अनुसूचित जाति वर्ग तथा शेष 2 सामान्य वर्ग के होंगे। जिन प्रखण्डों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1 हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखण्ड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लाभुक को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 45 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50 हजार से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 19 आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले दो वर्षों में सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा लिया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से 12 कन्या आवासीय संचालित है, 27 नये कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य जारी है।

वर्ष 2006–07 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को नौकरियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। अब तक 22 हजार 232 छात्र–छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की शुरूआत वर्ष 2006–07 में की गयी थी। उस समय 10 हजार रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2017–18 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 15 हजार 49 महिलाओं ने सहायता ली है।

पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने समय–समय पर मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की तथा वर्ष 2019 से मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया है। वक्फ की भूमि पर बहुद्देशीय भवन, मुसाफिरखाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन (दुकान, मार्केट कॉम्पलेक्स) आदि का निर्माण कराया जा रहा है। 13 जिलों में वक्फ की भूमि पर +2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है, जिनमें से दरभंगा एवं किशनगंज में आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गयी है, जिसमें राज्य के मिली–जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में 9 हजार 273 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 8 हजार 519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गयी है, 311 पर कार्य जारी है तथा 443 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2016 से बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना शुरू की गयी है, क्योंकि मंदिरों में यदा–कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से पुराने धार्मिक न्यास पर्षद् में निबंधित मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। इसके अन्तर्गत अब तक 419 मंदिरों की चहारदीवारी की जा चुकी है। अब आवश्यकतानुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की चहारदीवारी भी करायी जाएगी।

शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा–से–ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक लगभग 5 लाख 35 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी गयी है तथा लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में सात निश्चय–2 के अंतर्गत घोषणा की गयी थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। इसके तहत अब तक 3 लाख 63 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गयी है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिस कर्मी एवं अन्य विभागों के कर्मी शामिल हैं। वर्तमान में 1 लाख 27 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है, जिन पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावा 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुयी है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करायी है और इसके आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है, जिसमें 53 लाख 72 हजार 22 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं तथा 12 करोड़ 53 लाख 53 हजार 288 लोग बिहार में रह रहे हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की 1.68 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग की 15.52 प्रतिशत आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कानून बनाकर आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों को मिलाकर अब कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया है।

जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ली गयी है। इसमें गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पायी गयी है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए ''मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना'' शुरू की गयी है, जिसके तहत सभी वर्गों के चिन्हित गरीब परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। जिन परिवारों के पास आवास नहीं है उन्हें जमीन खरीदने हेतु निर्धारित राषि को 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें 1 लाख 20 हजार रुपये अलग से दिये जायेंगे। वर्ष 2018 से ''सतत जीविकोपार्जन योजना'' के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राषि को 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है, जिसके कारण इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1 फरवरी, 2024 को केन्द्र सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ायी गयी है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नये रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरूआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लायी जा रही है, जिससे किराये के घरों एवं झुग्गी, बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में एक साल के लिए छूट बढ़ायी गयी है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस सकारात्मक बजट के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद।

केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता जननायक स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी को देश के सर्वोच्च सम्मान ''भारत रत्न'' से सम्मानित किया गया है। यह हमलोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

जय हिन्द।

बि0स0मु0 (संसदीय), 1–मो0जी0–800 + 10